मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक– F–19–7/08/2–अड़तीस भोपाल, दिनांक–17.07.2008

प्रति,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन, महिला बाल विकास/वित्त/स्कूल शिक्षा विभाग/
   अनुसूचित जाति/जनजाति/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग
   मंत्रालय, भोपाल म प्र
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषयः– गाँव की बेटी योजना वर्ष 2008–09 (संशोधित)
संदर्भ – पत्र क्रमांक एफ–19–7/05/2–अड़तीस दिनांक 07.10.05 एवं पत्र क्रमांक F–19–7/07/2–अड़तीस भोपाल, दिनांक 30.08.07

***

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गाँव की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिये **"गाँव की बेटी योजना"** के संबंध में एतद् द्वारा **गाँव की बेटी योजना नियम, 2008** बनाये जाते हैं।

1. **योजना हेतु – पात्रता एवं मापदण्ड**

1.1 यह योजना पूरे मध्यप्रदेश में लागू होगी।

1.2 छात्रा को गांव का निवासी होना चाहिए एवं 12वीं कक्षा गांव में रहकर गाँव की पाठशाला से उत्तीर्ण होना चाहिए।

1.3 योजना शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं, अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थाऐं जिनकी फीस शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार हों तथा विश्वविद्यालयों में लागू होगी एवं **गाँव की मेधावी छात्राएं जो शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से पाँच किलोमीटर की परिधि से बाहर अशासकीय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत होने पर उन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत पात्र माना जावेगा।**

1.4 सभी शर्तें पूर्ण करने पर नवोदय विद्यालयों से पढ़कर बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं पर भी यह योजना लागू होगी।

1.5 नगरीय अथवा शहरी क्षेत्रों की निवासी एवं उन क्षेत्रों के विद्यालयों से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की पात्र नहीं होंगी।

1.6 प्रत्येक गांव से प्रतिवर्ष प्रथम श्रेणी में 12वी परीक्षा उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं का चयन किया जाएगा, अतः प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बालिका ने उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया होगा उसे ही इस योजना का लाभ पाने की पात्रता होगी।

1.7 योजना में पात्रता हेतु जाति तथा आय का बंधन नहीं होगा।

1.8 ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। केवल इस योजना के लिये नगर पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर माना जायेगा।

1.9 छात्रा जिस सत्र में कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करती है उसी सत्र में उसे उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना होगा।

1.10 यदि छात्रा 12वीं की कक्षा में पूरक से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है तो भी वह इस योजना के लिये पात्र होगी।

1.11 छात्रा शासन द्वारा प्रदाय छाात्रवृत्तियों में एक समय में एक ही छात्रृवृत्ति का लाभ ले सकती है।

1.12 स्नातक स्तर पर छात्रा का निरंतर अध्ययनरत होना आवश्यक है। उदाहरण के लिये – यदि छात्रा 2008 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करती है तो आगामी वर्ष में निरन्तरता से स्नातक शिक्षा पूर्ण करना आवश्यक है ।

1.13 छात्रा द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिया गया प्रमाण पत्र यदि गलत या असत्य पाया जाता है तो प्रदाय की गई छात्रवृत्ति की वसूली कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राचार्य स्तर पर की जावेगी ।

1.14 अशासकीय महाविद्यालय (क्र 1.3 अनुसार) में अध्ययनरत छात्राओं के इस योजना से लाभान्वित होने पर उच्च शिक्षा के अधीनस्थ संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी ।

1.15 शैक्षणिक सत्र के **31 जुलाई, 2008** तारीख तक छात्रा का आवेदन पत्र प्राप्त होना आवश्यक है। उक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

2. चयन प्रक्रिया

2.1 सर्व प्रथम गाँव की प्रत्येक शाला प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं की एक सूची तैयार करेगी जिसमें छात्रा का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, प्राप्तांक एवं पूर्णाक तथा प्रतिशत अंकित होंगे।

2.2 इस मैरिट सूची को संबंधित गाँव की पाठशाला के प्राचार्य द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपा जाएगा।

2.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्तर पर एक चयन समिति गठित होगी जो निम्नानुसार होगी–

1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अध्यक्ष / संयोजक
2.	महिला एवं बाल विकास विभाग के एक प्रतिनिधि	सदस्य
3.	आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के एक प्रतिनिधि।	सदस्य
4.	उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	संबंधित क्षेत्र के ब्लाक एजूकेशन अधिकारी	सदस्य

2.4 प्रथम श्रेणी सूची के आधार पर समिति गाँव की पाठशाला से छात्राओं को गाँव की बेटी का प्रमाण–पत्र जारी करेगी, जिसमें उनके प्राप्तांक, ग्राम, ब्लाक व जिले का उल्लेख होगा।

2.5 जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एक सादा समारोह प्रति वर्ष 15 अगस्त को आयोजित किया जायेगा, जिसमें जनपद के गणमान्य व्यक्ति एवं अन्य शासकीय अधिकारी उपस्थित होंगे। इसमें गाँव की बेटी निम्न लिखित शपथ लेगी कि –

"मै ....(नाम).................................(पिता / पति).. (गाँव)..(तहसील)..................................एतद द्वारा शपथ लेती हूँ कि मै अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करूंगी तथा मेरी उच्च शिक्षा पूर्ण होनें के पश्चात जो भी कार्य करूंगी या समाज में जो भी स्थान ग्रहण करूंगी, उसके दौरान मैं अपने गाँव की अन्य बालिकाओं की शिक्षा के स्तर के उन्नयन एवं समाज में उनका स्थान बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत रहूँगी।"

2.6 सत्र 2008–09 हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त होने की तिथि **31 जुलाई, 2008** तथा प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि **18 अगस्त, 2008** तक रहेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आवेदिका का आवेदन समय–सीमा में प्राप्त होने की स्थिति में प्रमाण–पत्र जारी करना सुनिश्चित करे व समय–सीमा में जारी न करने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संबधित अधिकारी का होगा।

2.7 समिति के समक्ष निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे–

1. शाला के प्राचार्य द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्राओं की सूची।
2. गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित छात्रा द्वारा आवेदन पत्र।
3. संबंधित छात्रा गाँव की निवासी है, इस संबंध में सरपंच का प्रमाण–पत्र।
4. प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में शाला प्रमुख का प्रमाण–पत्र।
5. जनपद पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाला गाँव की बेटी का प्रमाण–पत्र।

नोट– उपरोक्त सभी अभिलेखों का नमूना संलग्न है।

3. गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत लाभ एवं सुविधाएं–

3.1 गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को उच्च शिक्षा (एवं इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा (एवं इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय), स्कूल शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में लाभ पाने की पात्रता होगी।

3.2 उपरोक्त कंडिका 3.1 में दर्शाए विभागों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों (जिसमें छात्रा ने प्रवेश पाया है) के लिए निर्धारित शुल्क में छूट कि पात्रता होगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने स्तर से संबंधित संस्थाओं को पृथक से निर्देश जारी करेगें। **किन्तु ऐसी गाँव की छात्राएं जिन्हें अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत होनें के कारण कंडिका 1.3 मे पात्र माना जावेगा उन्हें किसी भी तरह से निर्धारित शुल्क से छूट की पाात्रता नहीं होगी।**

3.3 उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग यह सुनिश्चित करेगें कि उनके व्दारा संचालित छात्रावासों में इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को निर्धारित किये गये शुल्क से छूट प्रदान की जाये, एवं यदि संभव हो तो इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को छात्रावास में प्रवेश के लिए प्राथमिकता भी दी जाए।

3.4 छात्रा को प्रतिमाह रू. 500/-(पांच सौ रूपये) की दर से शैक्षाणेक सत्र 10 माह के लिए रूपये 5000/-(पांच हजार रूपये) सालाना की आर्थिक मदद दी जाएगी।

3.5 योजना के अंतर्गत किराये के भवन में रहने पर किराये की पात्रता नहीं होगी।

4. विवादों का निपटारा—

गाँव की बेटी के चयन को लेकर विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के समक्ष चयन के 15 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत चयन के विरूद्ध प्राप्त अपील अपने अभिमत एवं संबंधित अभिलेखों के साथ आयुक्त, उच्च शिक्षा को निर्णय हेतु भेजेंगे। आयुक्त, उच्च शिक्षा का गाँव की बेटी के चयन के संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
16/7/08
(सेवाराम)
सचिव,
म प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग 17/07/0

पृष्ठांकन क्रमांक / F–19–7/08/2–अड़तीस भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः—
1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/ब्लाक जनपद पंचायत म प्र।

16/7/08
उप सचिव,
म प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग